छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

सूचना का अधिकार

क्रमांक एफ 7–6/2005/1–सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2015

प्रति,

शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व–सक्रिय प्रकटीकरण।

सन्दर्भः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक–एफ 7–6/2005/1–6, दिनांक 07.11.2005, एवं (2) समसंख्यक पत्र दिनांक 16.09.2006, (3) 18.11.2011 (4) क्रमांक–3110/जी–1721/2011/1–सूअप्र दिनांक 13.09.2012 (5) क्रमांक–3828/जी–1721/2011/1–सूअप्र दिनांक 24.11.2012, (6) क्रमांक–4000/जी–141/2012/1–सूअप्र,दिनांक–13.12.2012, (7) क्रमांक– 149/जी–1721/2011/1–सूअप्र, दिनांक 24.01.2013 (8) क्रमांक–241/ जी–1418/2012/1–सूअप्र,दिनांक–08.02.2013, (9) क्रमांक–257/जी–1418/2012/1–सूअप्र, दिनांक–08.02.2013 (10) क्रमांक–एफ 7–6/2005/1–सूअप्र, दिनांक 07.10.2013 एवं (11) समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014

––0––

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों/स्मरण पत्रों का अवलोकरन करें। जिसके माध्यम से सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय जानकारी का अपने विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं।

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि विभागों/कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कि प्रत्येक विभाग, अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को, संदर्भित पत्रों में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों का तत्काल पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें

सुरेन्द्र कुमार 29.4.2015

(सुरेन्द्र कुमार जायसवाल)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ 7–6/2005/1–13 नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2015

प्रतिलिपि– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

1. निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़.
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर.
4. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़.
5. संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर
6. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, पुराना मंत्रालय (डीकेएस भवन) के पास, इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर, छ0ग़0.
8. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट में अपलोड़ करने बाबत्।

विशेष सचिव 17/4/2015
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक– एफ 1–1/2011/1–13 नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर, छ.ग.
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करते समय जनसूचना अधिकारी तथा आदेश पारित करते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम अंकित करने के संबंध में।

सन्दर्भ:– विभाग का पत्र कमांक –3610/जी–1646/2011/1–13 दि. 30.11.2011, पत्र कमांक–44/जी–1646/2011/1–13 दि. 09 जनवरी 2013 एवं पत्र कमांक–1628/जी–921/2014/1–13 दि. 10 अक्टूबर

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश तथा पत्राचार करते समय अपना नाम, पदनाम स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली ने पत्र कमांक–10/1/2013–आईआर, दिनांक 11 नवम्बर 2014 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। जिसके अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रदाय करने हेतु मॉडल/आदर्श प्रारूप विकसित करने के लिए समिति गठित किया था। उक्त समिति द्वारा तत्सम्बन्ध की गई अनुशंसाएं निम्नानुसार है :–

1. कार्यालय में सहज रूप से सदृश्य स्थान पर जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय दूरभाष कमांक, और ईमेल आईडी का सुस्पष्ट उल्लेख करना चाहिए.
2. मांगी गई सूचना, यदि प्रदाय किए जाने से इंकार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अधिनियम के तहत इंकार किए जाने से संबंधित धाराओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए.

----2

3. मांगी गई सूचना का संबंध अन्य लोक प्राधिकरण से है तो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र अंतरित करते हुए संबंधित लोक प्राधिकारी का स्पष्ट विवरण उल्लेखित किया जाना चाहिए.
4. आवेदक को दी जाने वाली जानकारी पत्र के अंतिम पैरा में प्रथम अपीलीय अधिकारी, नाम, पता सहित यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यदि दी गई जानकारी से संतुष्ट न हो तो 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है.
5. यदि आवेदक ने चाही गई सूचना की प्रतियॉ या अभिलेखों को प्रमाणित कर, प्रदाय करने का अनुरोध किया है तो जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम सील सहित और हस्ताक्षर मय तारीख अंकित कर उपलब्ध कराया जाना चहिए.

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (03)

(के.आर. मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक– एफ 1–1/2011/1–13 नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2015

प्रतिलिपि–

1. श्री कुलभूषण मल्होत्रा, अवर सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली पत्र क्रमांक–10/1/2013–आईआर, दिनांक 11 नवम्बर 2014 के तारतम्य में.
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़.
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर.
4. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़.
5. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, पुराना मंत्रालय (डीकेएस भवन) के पास, इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर, छ0ग0. की उनके पत्र क्रमांक–875/स्था./छगरासूआ/15 रायपुर, दिनांक 05.05.2015 के तारतम्य में.
6. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) की वेबसाईट में अपलोड करने बाबत्।

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार(03पृष्ठ)

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

F.No.10/1/2013-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
(IR Section)

New Delhi, the 11th November 2014

Subject : Report of the Committee to evolve model format for RTI replies

This Department has consituted a committee to evolve model format for RTI replies, comprising representatives of Department of Personnel & Training, Ministry of Home Affairs and Central Information Commission. The report submitted by the committee is attached for information, before issue of guidelines in this regard.

(Kulbhushan Malhotra)
Under Secretary to the Govt of India
Tel. 2309 2759

13.11.2014
Secy.

Report of the Committee to evolve model format for RTI replies

The Committee constituted vide DoPT O.M. No. 10/1/2013-IR dated 16th October, 2014 to evolve a model format for giving information under the RTI Act, held its meeting on 29th October, 2014 at 11:30 a.m. After examining in detail the provisions of the RTI Act and the existing practice generally followed by the CPIOs in replying to RTI applications, the Committee has made the following observations:

I. There is neither any provision in the RTI Act or RTI Rules for a model/standard format of RTI application nor any provision for a model/standard format for reply to the RTI applications.

II. Presently, neither any standard practice nor any standard format is being used by the CPIOs in reply to the RTI applications.

In view of the above observations, the Committee has made the following recommendations:

a) There should not be a model/standard format for reply to the RTI application, as there is no such provision in the RTI Act or the RTI rules.

b) Moreover, keeping in view that there is no standard format for RTI applications, there could not be a standard format for their reply.

c) However, the following points can be uniformly adopted by the CPIOs while replying to the RTI applications:

i. The name, designation, official telephone no. and email I.D. of the CPIOs should be clearly mentioned.

ii. In case the information requested for is denied, reasons for denial quoting the relevant sections of the RTI Act should be clearly mentioned.

iii. In case the information pertains to other public authority and the application is transferred under section 6 (3) of the RTI Act, details of the public authority to whom the application is transferred should be given.

iv. In the concluding para of the reply, there should be clearly mentioned that the First Appeal, if any, against the reply of the CPIO may be made to the First Appellate Authority within 30 days of receipt of reply of CPIO.

v. The name, designation, address, official telephone no. and e-mail I.D. of the First Appellate Authority should also be clearly mentioned.

29.10.14 29/10/14 29/10/14

vi. Wherever the applicant has requested for certified copies of the documents or records, the CPIO should certify the documents or records by putting a seal of his name, designation and signing with date. Above the seal, the remarks that "documents/records provided under the RTI Act" should be endorsed.

(S. P. Beck) 29.10.14
Joint Secretary/CIC
sp.beck@nic.in
26102468

(V. K. Rajan)
Dy. Secretary/MHA
vk.rajan@nic.in
23094376

(Sandeep Jain) 29/10/14
Director/DoPT
osdrti-dopt@nic.in
23092755

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

——00——

क्रमांक एफ 1–1/2011/ 1–सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग.बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः– भारत सरकार से प्राप्त पत्र पर कार्यवाही बाबत्– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत स्वप्रेरणा प्रकटीकरण का कियान्वयन बाबत्।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लाक,32 नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन– No. 1/34/2013-IR दिनांक 29 जून 2015

——0——

विषयान्तर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन– No. 1/34/2013-IR दिनांक 29 जून 2015 की छायाप्रति ~~आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है~~।

2. निर्देशानुसार अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत स्वप्रेरणा प्रकटीकरण का प्रभावी कियान्वयन हेतु की गई अनुशंसाओं का पालन सुनिश्चित करावें तथा पालन प्रतिवेदन से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (02)

13-8-15

(एन.एम. घोड़की)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 1–1/2011/1–13 नया रायपुर, दिनांक अगस्त 2015

प्रतिलिपि– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

1. श्री संदीप जैन, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली की ओर उनके ज्ञापन F. No. 1/32/2013-IR दिनांक 17 फरवरी 2015 के तारतम्य में.
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़.
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर.
4. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़.
5. संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर
6. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, पुराना मंत्रालय (डीकेएस भवन) के पास, इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर, छ0ग0.
8. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग(RTI) की वेबसाईट में अपलोड करने बाबत्।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

O/O CHIEF SECRETARY
Govt. of Chhattisgarh
Com. No.
Date

No.1/34/2013-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi-1
Dated: 29th June 2015

Office Memorandum

Subject: Implementation of Suo Motu Disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005

Attention is invited to detailed guidelines on implementation of suo motu disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005 issued vide this department's O.M. No.1/6/2011-IR dated 15.4.2013. Subsequently, a Committee of experts consisting of Shri A.N.Tiwari, Chief Information Commissioner(Retd) and Dr. M.M.Ansari, Information Commissioner(Retd) (of Central Information Commission) was constituted to recommend, interalia, measures to further strengthen implementation of Section 4 of the RTI Act, 2005. The Committee has, interalia, made the following recommendations which have been duly accepted by the competent authority:-

1) All the details of the public authority may be uploaded on its website. Access to information should be made user-friendly for which appropriate information technology infrastructure ,should be suitably designed, developed and operationalised.
2) All the training modules for professional upgradation of employees should incorporate matter relating to the virtues of transparency and open government and RTI law.
3) In order to minimise the burden of servicing RTI applications, the public authorities with high public dealings should put in place an effective system to redress the grievances of affected persons. At the sub-organisational levels, there should be cooperation and coordination between the Central Public Information Officers and the officers responsible for addressing public grievances.
4) In order to reduce the number of RTI applications relating to service matters, the information relating to recruitment, promotion and transfers should be brought into public domain promptly.
5) The retention and maintenance of specific documents for specified duration should be clearly spelt by each public authority in respect of its documents.

2. All the public authorities are requested to follow the above recommendations.

(Sandeep Jain)
Director
Tel: 23092755

1) All Ministries/Departments of Govt of India
2) Union Public Service Commission /Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ NITI Ayog/ Election Commission.
3) Central Information Commission/ State Information Commissions.
4) Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi.
5) The Comptroller and Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6) Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie-248179, Uttarakhand
7) Director, Institute of Secretariat Training and Management, Old JNU Campus, Olof Palme Marg, New Delhi

Copy to :

Chief Secretaries/ All State Governments

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1–1/2011/1–13 नया रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग.बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।

विषय :– भारत सरकार से प्राप्त पत्र पर कार्यवाही बाबत्– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का प्रभावी कियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत भारत सरकार, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली का पत्र क्रमांक- F. No. 1/1/2013/ IR दिनांक 09 जुलाई 2015 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

निर्देशानुसार अनुरोध है कि भारत सरकार की पार्लियामेंन्ट्री स्टेण्डिंग कमेटी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का प्रभावी कियान्वयन हेतु "76 वें प्रतिवेदन" में की गई अनुशंसाओं का पालन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

10-9-15

(एन.एम. घोड़की)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 1–1/2011/1–13 नया रायपुर, दिनांक सितम्बर 2015

प्रतिलिपि– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

1. श्री देवेश चतुर्वेदी, सुयंक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली की ओर उनके ज्ञापन F. No. 1/1/2013/ -IR दिनांक 09 जुलाई 2015 के तारतम्य में.
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़.
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर.
4. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़.
5. संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर
6. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, पुराना मंत्रालय (डीकेएस भवन) के पास, इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर, छ0ग0.
8. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग(RTI) की वेबसाईट में अपलोड करने बाबत्।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

O/O CHIEF SECRETARY
Govt. of Chhattisgarh
Com. No.: 66 278/ GSC
Date 11.8.2015

F.No.1/1/2013-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel & Training)

05 AUG 2015

North Block,
New Delhi, dated the 9 July,2015.

Subject: 76th Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice – Recommendation regarding suo-motu disclosure under Section 4 of Right to Information Act,2005.

Reference is invited to this Department's Office Memorandum No.1/6/2011-IR, dated the 15th April,2013 wherein all Ministries / Departments were advised to appoint a senior officer not below the rank of a Joint Secretary and not below the rank of Additional HoD in case of attached offices for ensuring compliance with the proactive disclosure guidelines. Subsequently vide O.M.No.1/1/20-13-IR dated 21st October,2014, all Ministries / Departments were requested to take action to upload the replies to RTI applications and first appeals on their respective websites. In this context, the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice has, in Para 4.40 of its 76th Report, inter-alia made the following observation / recommendations:

> "The direction given by DoPT in their guidelines for implementation of Section 4 of the RTI Act which required appointment of a Joint Secretary rank officer as the Nodal Officer should be followed in letter and spirit. The Committee feels that all Ministries/Departments/ Organisations themselves must encourage suo-motu disclosure of relevant information. The Committee suggests the publishing of RTI requests and their replies on the websites of the Departments so that duplicity of requests is avoided. All Departments must make an analysis of information which is sought most often from applicants and provide it on their website as suo-motu disclosure."

6 AUG 2015

2. The above mentioned recommendations of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice are hereby

brought to the notice of all Ministries / Departments and Public Authorities for strict compliance.

3. The contents of this O.M. may also be brought to the notice of Attached / Subordinate Offices and Public Sector Undertakings for necessary compliance.

9/7/15

(Devesh Chaturvedi)
Joint Secretary to the Government of India

To

1. All Ministries / Departments of Government of India
2. President's Secretariat
3. Vice President's Secretariat
4. Prime Minister's Office,
5. Cabinet Secretariat
6. Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat
7. Election Commission of India
8. O/o The Comptroller & Auditor General of India
9. Secretary Union Public Service Commission
10. Secretary, Central Vigilance Commission
11. Secretary, Central Information Commission
12. Secretary, Staff Selection Commission

Copy to: Chief Secretaries of all the States / Union Territories

9/7/15

(Devesh Chaturvedi)
Joint Secretary to the Government of India

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड– 492002

सूचना का अधिकार

क्रमांक एफ 1–1/2011/1–13, नया रायपुर, दिनांक 31 /12/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।

विषय :– भारत सरकार से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही बाबत्– सूचना का अधिकार के तहत् आवेदकों को जानकारी दिये जाने हेतु प्रारूप बाबत् ।

––00––

उपर्युक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन No.10/1/2013-IR दिनांक 06.10.2015 की छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है।

2/ निर्देशानुसार अनुरोध है कि सूचना का अधिकार के तहत् आवेदकों को दिये जाने वाले जानकारी हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आपके अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करें तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

31-12-15
(एन.एम.घोड़की)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 1–1/2011/1–13, नया रायपुर, दिनांक 31 /12/2015

प्रतिलिपि :–

1. श्री जी.एस.अरोरा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन No.10/1/2013-IR दिनांक 06.10.2015 के तारतम्य में
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
5. संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर
6. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, पुराना मंत्रालय (डीकेएस भवन) के पास, इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग (RTI) की वेबसाईट में अपलोड करने बाबत्।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

31-12-15
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

No. 10/1/2013-IR
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pension
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated 6th October, 2015

Office Memorandum

Subject: Format for giving information to the applicants under RTI Act- issue of guidelines regarding.

It has been observed that different public authorities provide information to RTI applicants in different formats. Though there cannot be a standard format for providing information, the reply should however essentially contain the following information:

(i) RTI application number, date and date of its receipt in the public authority.
(ii) The name, designation, official telephone number and email ID of the CPIO.
(iii) In case the information requested for is denied, detailed reasons for denial quoting the relevant sections of the RTI Act should be clearly mentioned.
(iv) In case the information pertains to other public authority and the application is transferred under section 6(3) of the RTI Act, details of the public authority to whom the application is transferred should be given.
(v) In the concluding para of the reply, it should be clearly mentioned that the First Appeal, if any, against the reply of the CPIO may be made to the First Appellate Authority within 30 days of receipt of reply of CPIO.
(vi) The name, designation, address, official telephone number and e-mail ID of the First Appellate Authority should also be clearly mentioned.

2. In addition, wherever the applicant has requested for 'certified copies' of the documents or records, the CPIO should endorse on the document "True copy of the document/record supplied under RTI Act", sign the document with date, above a seal containing name of the officer, CPIO and name of public authority; as enumerated below:

True copy of the document/record supplied under RTI Act. Sd/- Date (Name of the Officer) CPIO (Name of the Public Authority)

Further in case the documents to be certified and supplied is large in number, information on RTI application should be supplied by a designated PIO but the certification of the documents, if need be, could be done by an other junior gazetted officer.

3. This may be brought to the notice of all concerned.

(G. S. Arora)
Deputy Secretary (IR)
Tel.23092755

1. All the Ministries / Departments of the Government of India.

2. Union Public Service Commission /Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ NITI Ayog/Election Commission.
3. Central Information Commission/ State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi.
5. O/o the Comptroller &Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs